रजिस्ट्री सं० डी० (डी० एन०)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 186] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 29, 1991/भाद्र 7, 1913

No. 186] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 1991/BHADRA 7, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1991

फा. सं. 133/237/91-टी पी एल :—प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की संरचना की जांच करने के लिए तथा अन्य बातों के साथ-साथ कर-प्रणाली को अपेक्षाकृत अधिक लचीली एवं व्यापक आधार वाली बनाने के निमित्त सिफारिशें करने हेतु और इसके अलावा मौजूदा कानूनों एवं विनियमों के बेहतर ढंग से प्रवर्तन एवं अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्हें सरल बनाने के लिए अपेक्षित उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

2. इस समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(1)	डा. राजा जे. चेलैया	अध्यक्ष
(2)	श्री एम. वी. अय्यर	सदस्य
(3)	श्री वी. यू. एराडि	सदस्य
(4)	डा. अमरीश बागची	सदस्य
(5)	श्री वी. राजारमन	सदस्य

श्री वी. यू. एराडि इस समिति के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

3. इस समिति के निर्देश पर निम्नलिखित की जांच करना तथा उन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना होगा :—

(1) कर-राजस्व, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों के लचीलेपन में सुधार लाने के तरीके तथा कुल कर राजस्व के और जीडीपी के एक अनुपात

के रूप में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी में बढ़ोत्तरी करना ;

(2) आवश्यक दर समायोजनों के साथ कर-प्रणाली को बेहतर तथा व्यापक आधार वाली बनाना, विशेष रूप से जिन्स कराधान एवं व्यक्तिगत कराधान को ध्यान में रखते हुए ;

(3) प्रत्यक्ष कर-प्रणाली को युक्तियुक्त बनाना ताकि विसंगतियों को दूर किया जा सके, इक्विटी में सुधार लाया जा सके तथा आर्थिक प्रोत्साहनों को बरकरार रखा जा सके;

(4) कराधान के नए क्षेत्रों का पता लगाना ;

(5) प्रत्यक्ष करों के अनुपालन में सुधार लाने और प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाने के तरीके;

(6) सीमा-शुल्क टैरिफ को सरल तथा युक्तियुक्त बनाना ताकि दरों की विविधता तथा प्रकीर्णता को घटाया जा सके और उन छूटों को समाप्त किया जा सके जो अनावश्यक हो गई हैं ;

(7) राजस्व समायोजनों को सुविधाजनक बनाने के निमित्त संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता को और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए टैरिफ दरों के स्तर को घटाना ;

(8) बेहत्तर कर-अनुपालन एवं प्रशासन के निमित्त उत्पादन शुल्क संरचना को सरल एवं युक्तियुक्त बनाना ;

(9) मोडवट स्कीम के कार्य-क्षेत्र का विस्तार करना ;

(10) उपर्युक्त विषयों से संबंधित कोई अन्य मामला अथवा उनसे संबंधित कोई आकस्मिक मामला।

4. इस समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। यह समिति अपनी स्वयं की कार्य-प्रणाली बनाएगी और वह इस प्रकार की सूचना मंगवा सकेगी जिसे वह आवश्यक समझे।

5. राजस्व विभाग इस समिति के लिए सचिवालय की व्यवस्था करेगा।

6. यह समिति वित्त मंत्री महोदय के पास दिनांक 30 नवम्बर, 1991 तक एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें ऐसी सिफारिशें होंगी जिन्हें तत्काल कार्यान्वयन के निमित्त यह समिति महत्वपूर्ण समझे। यह समिति अपनी अन्तिम रिपोर्ट वित्त मंत्री महोदय के पास दिनांक 29 फरवरी, 1992 तक प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाए और इसे सामान्य सूचना के निमित्त राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

प्रतीप लाहिरी, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

RESOLUTION

New Delhi, the 29th August, 1991

F. No. 133|237|91-TPL :—The Government of India have decided to constitute a high level Committee of experts to examine the structure of direct and indirect taxes and make recommendations, inter-alia, for making the tax system more elastic, broad based. and also to suggest measures required for simplifying the existing laws and regulations to facilitate better enforcement and compliance.

2. The Committee will consist of the following :—

(i)	Dr. Raja J. Chelliah	Chairman
(ii)	Shri S. V. Iyer	Member
(iii)	Shri V. U. Eradi	Member
(iv)	Dr. Amaresh Bagchi	Member
(v)	Shri V. Rajaraman,	Member

Shri V. U. Eradi will work as the Member-Secretary of the Committee.

3. The terms of reference of the Committee will be to examine and make recommendations on :—

(i) ways of improving the elasticity of tax revenues, both direct and indirect, and increasing the share of direct taxes as a proportion of total tax revenues and of GDP ;

(ii) making the tax system fairer and broad-based, with necessary rate adjustments, particularly with regard to commodity taxation and personal taxation ;

(iii) rationalisation of the system of direct taxes with a view to removing anomalies, improving equity and sustaining economic incentives ;

(iv) identifying new areas for taxation ;

(v) ways of improving compliance of direct taxes and strengthening enforcement ;

(vi) simplification and rationalisation of customs tariffs with a view to reducing the multiplicity and dispersion of rates and to eliminate exemptions which have become unnecessary ;

(vii) reducing the level of tariff rates, keeping in view the need for mobilising resources to facilitate fiscal adjustment and the objective of promoting international competitiveness;

(viii) simplification and rationalisation of the structure of excise duties for better tax compliance and administration ;

(ix) the scope of extending the MODVAT Scheme ;

(x) Any other matter related to the above points or incidental thereto.

4. The headquarters of the Committee will be at New Delhi. The Committee will devise its own procedure and may call such information as it considers necessary.

5. The Department of Revenue will provide the Secretariat for the Committee.

6. The Committee will submit an interim report to the Finance Minister by 30th November, 1991 containing such recommendations as it considers important for immediate implementation. The Committee will submit its final report to the Finance Minister by the 29th February, 1992.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

P. K. LAHIRI, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991